other drugs; and

(e) if so, what steps have been taken to investigate the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN): (a) to (e) As per policy prevalent with effect from 1-1-20 computation of value addition for issue of licence under Duty Exemption Scheme is on the basis of the cif value of all imported inpute whether imported through the licence issued under Duty Exemption Scheme or otherwise. Advance licences are issued only if the applicant fulfil the mimimum value addition criteria stipulated in the policy.

Consideration of international prices of indigenous raw materials for determining CIF content

1025. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: CHOWDHARY RAM SEWAK:

Will the Minsiter of COMMERCE be pleased to refer to the answer to Starred Question 260 given in the Rajya Sabha on the 29th March, 1990 and state:

(a) whether it is a fact that his Ministry do not take into account international prices of indigenous raw materials for determining CIF content in exports;

(b) what is the value of indigenous raw material taken for the purpose of determination of CIF content;

(c) whether it is a fact that export of a number of drugs like Pyrazing mide Cephalexin, Ethambutol and Ampicillin are value less in terms foreign exchange;

(d) whether it is also a fact that his Ministry are devising a separate parameter for drugs to rectify the situation and;

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Advance Licences are granted where the value addition from cif value of imports to fob. value of exports is normally 33 per cent.

(d) No such proposal is under consideration.

(e) Does not arise.

सीलियम हस्क का निर्यात

1026. **डा० अब्रार अहमद खान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सीलियम हस्क का निर्यात करता है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान किन-किन देशों को सीलियम हस्क का निर्यात किया गया और प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने-कितने मूल्य का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या यह सच है कि 1985-86 और 1987 के दौरान सीलियम हस्क के निर्यात में कमी आई है, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) जी हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत से जिन प्रमुख देशों को ईसबगोल की भूसी का निर्यात किया गया वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस और जापान। अन्य देश जिनको ईसबगोल की भूसी का निर्यात किया गया वे हैं। मैक्सिको, यू० के०, हालैण्ड, डेन्मार्क, दक्षिण कोरिया, स्वीडन ताईवान, कनाडा, सिंगापुर इटली, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, कुवैत, मलेशिया, आदि। पिछले पांच वर्षों के दौरान ईसबगोल की भूसी/बीज/पाउडर के निर्यात आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	(मूल्य करोड़ रुपए में) निर्यात
1985-86	34.79
1986-87	23.95
1987-88	41.41
1988-89	38.82
1989-90	46 18

(स्रोत मूल रसायन, भेषज और प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई)

(ख) ईसबगोल की भूसी से प्राप्त निर्यात आय में वर्ष 1986-87 के दौरान कमी आई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्धता, मांग और उत्पाद कीमत शामिल है।

सीलियम हस्क का निर्यात मूल्य

1027. डा० अबरार अहमद खान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 1989 में सीलियम हस्क का न्यूनतम निर्यात मूल्य निर्धारित किया था; यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए थे और इसके पीछे क्या उद्देश्य थे और 31 मार्च, 1990 तक उक्त नियम मूल्यों पर कितने मूल्य के सीलियम हस्क का निर्यात किया गया; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सीलियम हस्क पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू करने के पश्चात् उसके निर्यात में कमी आई है; और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरंगिल श्रीधरन) : (क) और (ख) सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह कहा गया है कि ईसबगोल के किसानों को लाभकारी कीमत नहीं मिल रही है और निर्यात लाभप्रद स्थिति में होते हुए भी विदेशी मुद्रा आय को अनुकूलतम नहीं बना पा रहे हैं। इन अभ्यावेदनों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्यात मांग अनुकूलतम होना चाहिए, दिनांक 7.7.1989 से न्यूनतम निर्यात कीमत (ए० ई० पी०) आरंभ की गई है। बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड कास्मेटिक्स प्रमोशन कौंसिल (केमेक्सिल) से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, एम ई पी आरंभ होने के बाद से मूल्य वसूली और निर्यातकों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1989-90 के दौरान 46.1 करोड़ रुपये मूल्य की ईसबगोल भूसी/बीज/पाउडर का निर्यात हुआ जबकि वर्ष 1988-89 के दौरान इनका 38.32 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ था।

Facilities to pilgrims visiting places of pilgrimage

1028. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have decided to provide a number of facilities to pilgrims visiting various places of pilgrimage in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether these facilities are also available to lower and middle class pilgrims;

(d) if so, what are the details thereof category-wise;

(e) whether Government propose to provide some more facilities in lower and middle class pilgrims; and

(f) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SATYA PAL MALIK): (a) to (f) Provisioning of facilities at pilgrim centres in the country is primary the responsibility of State Governments. However, the Central Government of Tourism extends financial assistance to State Governments on their specific proposals to augment infrastructural facilities, like. Yatri Niwases and Yatri-